हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 01 -03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 1.9103 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of the Neo to Reoti Harijan Basti road(Kms 0/0 to 2/750), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (Online No. FP/HP/Road/26274/2017)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/37/2018/FC/2357 दिनांक 27/01/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.9103** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार GCL Dakoli में प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त राशी से कुल 4.00 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

4 एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

7 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।

8 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।

9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

Contd./2

10 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **03** trees से अधिक न हो।

11 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा back bearing भी अंकित किया जाएगा।

12 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

13 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

14 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 01 -**02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt., Shimla, Himachal Pradesh.
6. DFO Chopal Forest Division, Distt., Shimla H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Chopal , Distt. Shimla HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 1-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3547

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

[redacted]

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 26 **-02-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 3.86 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Sach to Fatehpur (Kms. 0/00 to 5/560), within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/18/2018/FC/2604 दिनांक 17/02/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 3.86 है0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पर प्रदान करतें है:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपुरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 7.72 है0 गैरवनीय/पतित वन भूमि (खसरा संख्या Compartment No. 52 D/2 of Draman DPF, Khanaru DPF & Nani DPF पर क्षतिपूरक वनी करण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 201 tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र में 3.0 है0 MDF है, अतः प्रस्ताव के अनुसार 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण MDF के सापेक्ष में प्रस्तावित वन भूमि में किया जाएगा तथा इस 3.00 है0 क्षेत्र के लिए के0एम0एल0 फाईल एवं Site का नाम प्रस्तुत किया जाएगा।
6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आई0 आर0 सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढाएगा।
8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
13. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

Contd./2

Contd./2

SIFCA

APCCF(FCA)

पावती सं 3904
दिनांक 02/03/21

14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो कम हो, लक्षित किया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नहीं की जायेगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघन वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या तो 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।
20. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26-02-2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO Chamba Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Chamba, Distt. Chamba HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3485

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 26 **-02-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 3.9205 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Kuthar to Kanudhi via Shai-Kunch-Neri road (Kms. 0/0 to 10/675), within the jurisdiction of Theog & Chopal Forest Division, Distt. Shimla, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/27/2018/FC/1942 दिनांक 04/12/2019 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **3.9205** है0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करतें हैः–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार U-368 rail in Balag Beat & Ghorna Block, Balsan Range, Theog Division में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि से कुल 8.00 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 7.35 हे0 U-356 Kanori Beat Kuthar, Block Ghorna, Balson Range, Theog Division वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूर्ति पृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

4 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

5 एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।

9 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।

Contd./2

SIFCA

पावती सं 3905
दिनांक 02/03/21

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

11 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **14** trees से अधिक न हो।

12 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा Back bearking भी अंकित किया जाएगा।

13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt., Shimla, Himachal Pradesh.
6. DFO Theog/Chopal Forest Division, Distt., Shimla H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Theog/Chopal, Distt. Shimla HP
8. Guard File.

26-2-2021
(Sat Pal Dhiman)
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

355

हिमाचल प्रदेश सरकार [redacted]
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the 26. -02-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 2.26 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Motorable road from Drada to Seru (Kms. 0/00 to 3/500), within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, H.P. (Online No. FP/HP/Road/25337/2017)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/122/2017/FC/2282 दिनांक 14/01/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.26 है0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैः–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Sundla No. II DPF of Chowari Forest Range में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि से कुल 4.52 हे0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

4 एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

7 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जंहा सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।

Contd./2

पावती सं 3906
दिनांक 02/03/21

S/FCA

APCCF (FCA)
1/3

वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए Layout Plan में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

10 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 144 trees से अधिक न हो।

11 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा Back bearking भी अंकित किया जाएगा।

12 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

13 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

14 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO Dalhousie Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7 The Ex-Engineer HPPWD Dalhousie, Distt. Chamba HP
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3389

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 26 **-02-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 4.148 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Talara Bridge to Panvi Road (Kms. 0/00 to 8/240), within the jurisdiction of Seraj Forest Division, Distt. Kullu, H.P. (Online No. FP/HP/Road/20535/2016)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/38/2018/FC/2281 दिनांक 14/01/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **4.148** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैः–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Compartment no. 53 E/5, Bhallan-III में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि से कुल 8.2960 है0 वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

3 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 1.125 है0 Spangani Dhar वन भूमि में दण्डात्मक प्रतिपूर्ति पृक्षारोपण (Penal CA) एवं उसका रख–रखाव किया जाएगा। दण्डात्मक प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।

4 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

5 एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

8 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी।

9 सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।

Contd./2

पावती सं 3908
दिनांक 02/03/21

S/FCA

10 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

11 कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 146 trees & 236 saplings से अधिक न हो।

12 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर0सी0सी0 स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।

13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO Seraj Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Seraj, Distt. Kullu HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

2971

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 26 **-02-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 1.275 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road to village Upper Surla (Kms 1/500 to 3/00), within the jurisdiction of Nahan Forest Division, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh (online no. FP/HP/Road/9676/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्र्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/06/72/2016/737 दिनांक 27/07/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.275** है0, वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करतें हैः–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपुरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.55 हे0 RF Gumati Sambhalwa C-2 पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

ख) राज्य वन विभाग द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर सर्वे नं0 अंकित किया गया है। एवं राज्य सरकार रू 309797/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रषित करेगा।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 92 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

5 एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

7 सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें।

8 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

Contd./2

पावती सं 3909
दिनांक 02/3/21

S/FCA

APCCF (FCA)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

10 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

11 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

13 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निदशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो कम हो, लक्षित किया जाएगा।

16 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं की जायेगी।

18 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

19 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

20 इनमें से किसी भी शर्त का उल्घन वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाई होगी।

21 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contd./2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 26 **-02-2021**

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Sirmour, Distt., Sirmour, Himachal Pradesh.
6. DFO Nahan Forest Division, Distt., Sirmour H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Nahan, Distt. Sirmour HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 26-2-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.